

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 329 7.2 / 2020-21 सन्
16-17

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
का
क०सं०एवं
तारीख

आदेश प
की गई
कार्रवाई :
बारे में

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती सुनू मिर्छा पिता/पति सुनू मिर्छा

मौजा गिरिलिबेड़ा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 100


में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 296 / 70-71 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के श्रेणिकारि के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>गिरिलिबेड़ा</u>	<u>260</u>	<u>76</u>	<u>361</u>	<u>1.13 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/11/2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
अड़की।

07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती सुमित्रा मिर्चा
..... पिता/पति सोमा मिर्चा मौजा-गिरिलबेरा थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-गिरिलबेरा थाना नं० 260 खाता सं० 76
प्लॉट सं० 361 रकबा-1.13 फुट लगान 5.86 रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुसू
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-गिरिलबेरा
..... थाना नं० 260 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।